17वीं लोक सभा की लोक लेखा समिति की पहली बैठक

6 अगस्त 2019

आज 17वीं लोक सभा की नवगठित लोक लेखा समिति की पहली बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हमारे सहयोगी श्री अधीर रंजन चौधरी जी को इस समिति का सभापति नियुक्त होने पर बधाई देता हूं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी व्यय पर संसद का नियंत्रण सभी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों के सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। भारतीय विधायिका की सबसे पुरानी समिति, लोक लेखा समिति का गठन पहली बार वर्ष 1921 में किया गया था।

हमारी समिति प्रणाली में इसे सबसे पुरानी समिति होने के कारण नहीं अपितु इसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कृत्यों के कारण गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। सरकारी व्यय पर संसद के नियंत्रण को सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद की इस समिति ने 1952 से सर्वसम्मति से पारित किए गए 1,631 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं जिनमें किसी प्रकार की विमत टिप्पणी नहीं थी।

सरकारी व्यय पर संसद के नियंत्रण को सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका के चलते, लोक लेखा समिति को "वित्तीय मामलों में राष्ट्र का सजग प्रहरी" माना जाता है। इस समिति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका में सरकारी और रक्षा व्यय, विकास हेतु परिव्यय, सरकारी उपक्रमों में किए जाने वाले बड़े पैमाने पर निवेशों, सरकारी व्यय के नए तरीके जैसे सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) में खर्च के लगातार बढ़ते जाने के कारण निरंतर विस्तार हो रहा है।

बढ़ते हुए लोक व्यय के साथ ही, समिति को व्यय की "केवल औपचारिकता और वैधानिकता" से परे अपने विवेक, शुचिता, वित्तीय अनुशासन और लोक परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुपालन किए जाने वाले सिद्धांतों के लिये अपनी प्रक्रिया और पद्धति विकसित करनी पड़ी।

वास्तव में, सरकार के वित्तीय प्रबंधन में निष्पादन बजट और विभागीय परिणामी बजट की शुरूआत के साथ ही सरकार के खातों की जांच करने में लोक लेखा समिति की जांच संबंधी भूमिका और महत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

लोक लेखा समिति का कार्य मुख्य रूप से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा केंद्र सरकार के लेखाओं की लेखा-परीक्षा और जाँच के परिणामों पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों, में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जाँच हेतु दक्षता-सह-प्रदर्शन आधारित लेखापरीक्षा की विधि को अपनाया गया जो नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक तथा लोक लेखा समिति के पास कार्यपालिका की कड़ी निगरानी का एक महत्वपूर्ण साधन है।

विकास की भावी आवश्यकताओं और सरकारी व्यय में हो रही वृद्धि को देखते हुए लोक लेखा समिति को शासन प्रणाली में वित्तीय अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए संसद के प्रमुख साधन के रूप में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

यह आवश्यक है कि लोक लेखा समिति सभी दलों के संसदीय निकाय के अपने स्वरूप को बनाए रखने और राष्ट्र के हित में अपनी भूमिका को कुशलता से और प्रभावी ढंग से निभाने के लिए बेहतरीन प्रक्रियाएं विकसित करे।

मित्रो, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान समिति के गठन में निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही हैं क्योंकि कुछ सदस्य पिछली लोक सभा में भी इस समिति के सदस्य थे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नए सदस्यों को पुराने सदस्यों के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा और समिति के कार्यकरण में नई ऊर्जा आएगी।

विशेषकर, इस समिति के सभापति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और उन पर इसकी महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और उत्कृष्ट राजनैतिक दिग्गजों ने इस समिति के सभापति पद को सुशोभित किया है जिनमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय पीवी नरसिंहाराव, माननीय ज्योतिर्मय बसु एवं पूर्व राष्ट्रपति माननीय आर वेंकटरमन इत्यादि के नाम प्रमुख हैं।

इस समिति के वर्तमान सभापति श्री अधीर रंजन चौधरी एक प्रबुद्ध सांसद हैं, वह मंत्री रहे हैं और लोक सभा के सदस्य के रूप में गत चार कार्यकालों में वित्तीय समितियों में से एक प्राक्कलन समिति में दो कार्यकालों सहित अनेक समितियों से संबद्ध रहे हैं।

मुझे आशा है कि अपने लंबे संसदीय अनुभव और नेतृत्व करने की प्रतिभा के साथ वह लोक वित्त के प्रमुख संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अत्यंत प्रभावी ढंग से निभाते हुए लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं।